कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी जिला बड़वानी (म.प्र.)

:: नीलाम / विकय की शर्ते ::

कमांक / 455 / दो–12–12 / 2006 बड़वानी, दिनांक 20 / 02 / 2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायिक स्थापना के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन टाटा इंडिगो (GLS) एम.पी. 02 ए.व्ही.–2495 (2009) का विकय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी / विकय की शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, शासकीय शासकीय वाहन टाटा इंडिगो (GLS) एम.पी. 02 ए.व्ही.–2495 (2009) को क्रय करना चाहता है, वह दिनांक 05.03.2025 को जिला न्यायालय परिसर बड़वानी जिला बड़वानी मध्यप्रदेश में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी / विकय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन जिला नाजिर, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय बड़वानी में कार्यालयीन समय में संपर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी / विकय की शर्ते–

01. शासकीय वाहन टाटा इंडिगो (GLS) एम.पी. 02 ए.व्ही.–2495 (2009) का अपलेखन मूल्य 70,000 / – रूपये निर्धारित है।

02. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक 08.03.2025 से एक दिन पहले तक देख जा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम / विकय किया जायेगा।

03. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नही होगा।

04. नीलामी / विकय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामीकर्ता / न्यायालय कर्मचारी जिला नाजिर / सेल अमीन जिला न्यायालय बड़वानी के पास नीलामी राशि की 10 प्रतिशत राशि 7000 / – (सात हजार रूपये मात्र) अमानत के रूप में अग्रिम जमा कराना होगी। स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

05. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि का नियमानुसार ऑनलाईन ई–चालान के माध्यम से शासन हित में जमा कराना होगा चालान की स्वहस्ताक्षरित प्रति नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय बड़वानी में जमा कर विकयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।

06. बोली अंतिम रूप से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी द्वारा स्वीकृत की जावेगी। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें ।

07. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी गठित, नीलामी समिति, जिला न्यायालय बड़वानी विकय की शर्तो में बदलाव, आंशिक निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकारी होगा।

08. नीलाम/विकय शुदा वाहन का नीलामी में विकय किये जाने संबंधी प्रमाण--पत्र नीलामी समिति, जिला न्यायालय बड़वानी द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर जिला न्यायालय परिसर बड़वानी से ले जाना होगा। विलम्ब की स्थिति में दैनिक आाधर पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

09. नीलामी/विकय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विकय की समस्त शर्ते स्वीकार है।

10. सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वंय वहन करना होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा। किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय, बड़वानी का होगा।

11. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय बड़वानी में जमा जावेगी।

12. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन जिला न्यायालय बड़वानी की वेबसाईट https://barwani.dcourts.gov.in/ पर किया जा सकेगा।

13. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के वेबसाईट WWW.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष

वाहन नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act)
बड़वानी (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक / 455 / दो–12–12 / 2006 बड़वानी, दिनांक 20 / 02 / 2025

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर निशुल्क प्रचार / प्रसार हेतु प्रेषित।

02. आयुक्त जनसंपर्क, कार्यालय बड़वानी, की ओर निशुल्क प्रचार / प्रसार हेतु प्रेषित कर अनुरोध है कि नीलाम विज्ञापन के प्रकाशन की सूचना प्रकाशित अंक के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

03. कार्यालय कलेक्टर / नगर पालिका बड़वानी की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि सूचना समस्त सार्वजनिक स्थानों के सूचना –पटल पर चस्पा करवाये जाने हेतु प्रेषित।

04. नायब नाजिर / सेल अमीन, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय बड़वानी की ओर प्रेषित कर लेख है कि नीलामी विज्ञापन प्रकाशित करवाकर अखबार की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें एवं न्यायालय भवन के मुख्य सूचना पटल, प्रवेश द्वार एवं जिलाधीश कार्यालय बड़वानी, नगर पालिका बड़वानी के मुख्य सूचना पटल पर नीलाम विज्ञापन चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

05. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुविभाग, बड़वानी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासकीय वाहन की नीलामी की विज्ञप्ति ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

06. स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, बड़वानी की ओर को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित ।

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति / विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act)
बड़वानी (म.प्र.)